न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या –1009/2020

अनवान : –

1. सरेन्द्र प्रतापसिंह पुत्र तुलछीराम जाति जाट निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।

– **वादी**

बनाम

1. ईशाक पुत्र दावत जाति मुसलमान निवासी वार्ड स0 8 नोहर तहसील नोहर–फौत
   1/1. सादक पुत्र ईशाक जाति मुसलमान निवासी वार्ड स0 8 नोहर तहसील नोहर।
   1/2. फारूक पुत्र ईशाक जाति मुसलमान निवासी वार्ड स0 8 नोहर तहसील नोहर
   1/3. हारूक पुत्र ईशाक जाति मुसलमान निवासी वार्ड स0 8 नोहर तहसील नोहर
   1/4. जायदा पुत्री ईशाक जाति मुसलमान निवासी वार्ड स0 8 नोहर तहसील नोहर
   1/5. नाजमीन पुत्री ईशाक जाति मुसलमान निवासी वार्ड स0 8 नोहर तहसील नोहर
2. कुम्भारा पुत्र रूड़ाराम जाति जाट निवासी लाखासर तहसील नोहर।
3. जाफर पुत्र दावत जाति मुसलमान निवासी वार्ड स0 8 नोहर तहसील नोहर।
4. तुलछाराम पुत्र रूडाराम जाति जाट निवासी लाखासर तहसील नोहर।
5. मुन्नी पत्नी ईशाक जाति मुसलमान निवासी वार्ड स0 8 नोहर तहसील नोहर
6. यासीन पुत्र यूसफ जाति मुसलमान निवासी अरड़की रोड़ नोहर तहसील नोहर।
7. रावताराम पुत्र रूड़ाराम जाति जाट निवासी लाखासर तहसील नोहर।
8. लक्ष्मीनारायण पुत्र जगराम जाति जाट निवासी धीरवास बड़ा तहसील तारानगर।
9. श्योलाल पुत्र गिरधारीलाल जाति जाट निवासी जबरासर तहसील नोहर।
10. सुखदेव पुत्र रूड़ाराम जाति जाट निवासी लाखासर तहसील नोहर।
11. सुनीता पुत्री तुलसीराम जाति जाट निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।
12. नितु पुत्री तुलसीराम जाति जाट निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।
13. दिलावर सिंह पुत्र तुलसीराम जाति जाट निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।
14. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत खाता विभाजन अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :– श्री राजपाल झोरड़ अधिवक्ता **वादी**
श्री विजयसिंह कड़वासरा अधिवक्ता **प्रतिवादीगण**

निर्णय **दिनांक:** 21/01/2025

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 की धारा 53 के अन्तर्गत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा ब्राहमणवासी तहसील नोहर के खाता स0 68/69 के ख0न0 44 की 6.8160 हैक्ट भूमि के वादी व प्रतिवादीगण मुश्तरका खातेदार कातश्कार दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वाद भूमि का खाता व लगान मुश्तरका होने के कारण पक्षकारान का आपस में लगान काश्त एवं सींव का झगड़ा रहता है इसलिए वादी मुताबिक हक हिस्सा व कब्जा काश्त के अनुसार खाता व लगान तकसीम करवाकर अलग से खाता कायम करवा पाने का अधिकारी है।

वादी ने अपने हक हिस्सा की भूमि को काफी समतल व उपजाउ बना रखा है वादी अपने हक हिस्सा के अनुसार अपनी भूमि पर काबिज है। मुताबिक हक हिस्सा व कब्जा काश्त के अनुसार वादी अपना खाता व लगान अलग चाहता है यही बिनाय दावा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.01.23 14:41:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वादी ने प्रतिवादीगण को कई मर्तबा कहा की विवादित भूमि का मुताबिक हक हिस्सा व कब्जा काश्त के खाता एवं लगान तकसीम करवा ले तो कई दिन तक आजकल आजकल करते रहें आखिर इन्कार हो गये इसलिए यह दावा पेश किया गया है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1/2 ता 1/5 ने जरिये अधिवक्ता जवाब दावा पेश किया की ख0न0 44 की 6.8160 हैक्ट भूमि में से प्रतिवादीगण यानि की उत्तरादाता के पिता ईशाक साहवा रोड़ के पश्चिम तरफ उत्तर से दक्षिण की भूमि को काश्त करते थे एवं यही भूमि पहले उत्तरादाता के पिता के कब्जा काश्त में थी और अब हमारे कब्जा काश्त में है अतः मुताबिक हक हिस्सा व कब्जा काश्त के खाता व लगान अलग किया जावे। शेष प्रतिवादीगण ने जवाब नही देना जाहिर किया।

साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया।

बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अर्जीदावा के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया राजस्व रिकार्ड में हक हिस्सा अनुसार एवं कब्जा काश्त के मुताबिक दावा के अनुतोष वाद वादी प्राथमिक डिक्री किये जाने का निवेदन किया। वाद वादी प्राथमिक डिक्री किया गया। तहसीलदार नोहर द्वारा विभाजन प्रस्ताव/तजबीज तकसीम की रिपोर्ट प्रेषित की गई।

विभाजन प्रस्ताव पर बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। अधिवक्ता वादी व प्रतिवादी ने बहस में निवेदन किया की मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम डिक्री किया जाता है तो हमें कोई ऐतराज नही है। हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रकरण में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार अनुसार रोही मौजा ब्राहमणवासी तहसील नोहर के खाता स0 68/69 के ख0न0 44 की 6.8160 हैक्ट भूमि के वादी व प्रतिवादीगण मुश्तरका खातेदार कातश्कार दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में वादी ने अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि का अन्य सहकाश्तकारान से खाता व लगान अलग कायम करवाने हेतु वाद पेश किया है। संयुक्त खाते का कोई भी सहखातेदार काश्त की सुविधा को देखते हुए अपने रिकार्ड में धारित रकबे की हद तक अच्छी मंदी भूमि को ध्यान में रखते हुए खाता व लगान अलग करवाने का अधिकारी है। वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाकर रोही मौजा ब्राहमणवासी तहसील नोहर के खाता स0 68/69 के ख0न0 44 की 6.8160 हैक्ट भूमि का पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है–

- सुरेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र तुलसीराम हिस्सा 1/4, सुनीता पुत्री तुलसीराम हि0 1/4, नितु पुत्री तुलसीराम हि0 1/4, दिलावर सिंह पुत्र तुलसीराम हि0 1/4 बहिब कौम जाट सा0 दुर्जाना खातेदार– ख0न0 44/1 की 1.7040 बारानी प्रथम
- ईशाक पुत्र दावत हिस्सा 852/5112 [illegible] मुसलमान सा0 नोहर खातेदार रहन ओबीसी शाखा नोहर
- कुम्भाराम पुत्र रूडाराम हिस्सा 1215/51120, तुलछाराम पुत्र रूडाराम हिस्सा 1215/51120, रावताराम पुत्र रूड़ाराम हि0 1265/51120, सुखदेव पुत्र रूडाराम हि0 1215/51120 बहिब कौम जाट लाखासर खातेदार
- जाफर पुत्र दावत हि0 852/5112 कौम मुसलमान सा0 नोहर खातेदार

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.01.23 14:41:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

- मुनी पत्नी ईशाक मोहम्मद हि0 4725/51120 कौम मुसलमान सा0 नोहर खातेदार
- यासीन पुत्र युसफ हि0 1957/5112 कौम मुसलमान सा0 नोहर खातेदार रहन ओबीसी शाखा नोहर
- लक्ष्मीनारायण पुत्र जगराम हि0 2362/51120 कौम जाट साकिन धीरवास बड़ा तह0 तारानगर खातेदार, श्योलाल पुत्र गिरधारी लाल हि0 2363/51120 कौम जाट सा0 जबरासर खातेदार

  ख0न0 44/2 की 5.1120 हैक्ट बारानी प्रथम

तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तो उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे एव तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव व नजरीय नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग पढ़ा जावें। खर्चा उभयपक्षकारान अपना-अपना वहन करे। अंतिम पर्चा डिक्री जारी हों।

निर्णय आज दिनांक 21/01/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.01.23 14:41:57 IST
Reason: SelfAttested

अंतिम पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या –1009/2020

अनवान : –

1. सरेन्द्र प्रतापसिंह पुत्र तुलछीराम जाति जाट निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।

– वादी

बनाम

1. ईशाक पुत्र दावत जाति मुसलमान निवासी वार्ड स0 8 नोहर तहसील नोहर–फौत
   1/1. सादक पुत्र ईशाक जाति मुसलमान निवासी वार्ड स0 8 नोहर तहसील नोहर।
   1/2. फारूक पुत्र ईशाक जाति मुसलमान निवासी वार्ड स0 8 नोहर तहसील नोहर
   1/3. हारूक पुत्र ईशाक जाति मुसलमान निवासी वार्ड स0 8 नोहर तहसील नोहर
   1/4. जायदा पुत्री ईशाक जाति मुसलमान निवासी वार्ड स0 8 नोहर तहसील नोहर
   1/5. नाजमीन पुत्री ईशाक जाति मुसलमान निवासी वार्ड स0 8 नोहर तहसील नोहर
2. कुम्भाराम पुत्र रूड़ाराम जाति जाट निवासी लाखासर तहसील नोहर।
3. जाफर पुत्र दावत जाति मुसलमान निवासी वार्ड स0 8 नोहर तहसील नोहर।
4. तुलछाराम पुत्र रूडाराम जाति जाट निवासी लाखासर तहसील नोहर।
5. मुन्नी पत्नी ईशाक जाति मुसलमान निवासी वार्ड स0 8 नोहर तहसील नोहर
6. यासीन पुत्र यूसफ जाति मुसलमान निवासी अरड़की रोड़ नोहर तहसील नोहर।
7. रावताराम पुत्र रूड़ाराम जाति जाट निवासी लाखासर तहसील नोहर।
8. लक्ष्मीनारायण पुत्र जगराम जाति जाट निवासी धीरवास बड़ा तहसील तारानगर।
9. श्योलाल पुत्र गिरधारीलाल जाति जाट निवासी जबरासर तहसील नोहर।
10. सुखदेव पुत्र रूड़ाराम जाति जाट निवासी लाखासर तहसील नोहर।
11. सुनीता पुत्री तुलसीराम जाति जाट निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।
12. नितु पुत्री तुलसीराम जाति जाट निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।
13. दिलावर सिंह पुत्र तुलसीराम जाति जाट निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।
14. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 1009 सन 2020 निर्णय दिनांक 21/01/2025

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णायार्थ प्रस्तुत होने पर वाद वादी साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाकर वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाकर रोही मौजा ब्राहमणवासी तहसील नोहर के खाता स0 68/69 के ख0न0 44 की 6.8160 हैक्ट भूमि का पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है–

- सुरेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र तुलसीराम हिस्सा 1/4, सुनीता पुत्री तुलसीराम हि0 1/4, नितु पुत्री तुलसीराम हि0 1/4, दिलावर सिंह पुत्र तुलसीराम हि0 1/4 बहिब कौम जाट सा0 दुर्जाना खातेदार– ख0न0 [illegible] प्रथम
- ईशाक पुत्र दावत हिस्सा 852/5112 [illegible] सा0 नोहर खातेदार रहन ओबीसी शाखा नोहर
- कुम्भाराम पुत्र रूडाराम हिस्सा 1215/51120, तुलछाराम पुत्र रूडाराम हिस्सा 1215/51120, रावताराम पुत्र रूड़ाराम हि0 1265/51120, सुखदेव पुत्र रूडाराम हि0 1215/51120 बहिब कौम जाट लाखासर खातेदार

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.01.23 14:41:57 IST
Reason: SelfAttested

- जाफर पुत्र दावत हि0 852/5112 कौम मुसलमान सा0 नोहर खातेदार
- मुनी पत्नी ईशाक मोहम्मद हि0 4725/51120 कौम मुसलमान सा0 नोहर खातेदार
- यासीन पुत्र युसफ हि0 1957/5112 कौम मुसलमान सा0 नोहर खातेदार रहन ओबीसी शाखा नोहर
- लक्ष्मीनारायण पुत्र जगराम हि0 2362/51120 कौम जाट साकिन धीरवास बड़ा तह0 तारानगर खातेदार, श्योलाल पुत्र गिरधारी लाल हि0 2363/51120 कौम जाट सा0 जबरासर खातेदार

ख0न0 44/2 की 5.1120 हैक्ट बारानी प्रथम

तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तो उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे एव तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव व नजरीय नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग पढ़ा जावें। खर्चा उभयपक्षकारान अपना-अपना वहन करे।

यह अंतिम पर्चा डिक्री आज दिनांक 21/01/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.01.23 14:41:57 IST
Reason: SelfAttested